RAJESH KUMAR SHARMA
उप सचिव
DEPUTY SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/53-54/2023-2024 **26 अक्टूबर, 2023**

सेवा में,

श्री निसार हैदर
पुत्र श्री शमीम हैदर
निवासी मोह. बाज़ार,
कस्बा व थाना नौगावा सादात
जिला-अमरोहा, उत्तर प्रदेश

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 09.10.2023 के दो पत्र जो इस सचिवालय में 11.10.2023 एवं 12.10.2023 को प्राप्त हुए हैं। जिसके साथ दस-दस रूपये के दो पो॰आ॰सं॰ 56एफ़ 365546 एवं 56 एफ 365543 संलग्न कर अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपका दिनांक -- का आवेदन दिनांक 30.09.2023 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ था। जो कि इस सचिवालय से संबन्धित नहीं था, तत्पश्चात आप के आवेदन को दिनांक 23.10.2023 को श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन, बी ब्लॉक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 के कार्यालय से संपर्क करें।

अतः आपको पुनः सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन, बी ब्लॉक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 के कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

rticell-vps@nic.in

निवासी मौह0 बाजार, कस्बा व थाना नौगावा सादात

जनपद–अमरोहा, उ0प्र0

सेवार्थ

श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय
माननीय उप प्रधान मंत्री महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली

महोदय,

आवदेक/सूचना प्राप्तकर्ता भारत का नागरिक होने के नाते जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रश्नगत सूचनायें प्राप्त करना चाहता है। आवेदक/सूचना प्राप्तकर्ता शुल्क के रूप में दस रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या दिनांकित–9|10|23 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है तथा इसके अतिरिक्त कोई और भी अन्य शुल्क अदा करना अनिवार्य है तो वह भी अदा करने को तैयार है।

प्रश्नवार सूचनायें निम्नलिखित है–

1. यह कि आपके विभाग में जनसूचना अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है उनका नाम पदनाम, मय पता व दूरभाष। मोबाईल नम्बर क्या है पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराये।
2. यह कि आवेदक/सूचना प्राप्तकर्ता ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्रीमान जी को दिनांक–26.09.2023 को रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रेषित की थी जिसकी रजिस्ट्री सं0– RU504981165IN दिनांकित–26|9|23 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी है। कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

11/X/2023

ह0 निसार हैदर

दिनांक–09.10.2023

संलग्नक–
1. सूचना शुल्क 10 रूपये का पोस्टल आर्डर सं0–
2. छायाप्रति प्रार्थना पत्र।

आवेदक/सूचना प्राप्तकर्ता
निसार हैदर पुत्र श्री शमीम हैदर
निवासी मौह0 बाजार,
कस्बा व थाना नौगावा सादात
जनपद–अमरोहा, उ0प्र0

O/o PS to HVPI
Diary No. 1460
Date 11/10/23
Vice President's Secretariat

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
भारतीय उप-प्रधानमंत्री महोदय नई दिल्ली को

इस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

अमरोहा

के डाकघर में अदा करें ।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

निसार हैदर पुत्र श्री शमीम हैदर
नि० मोहल्ला ...
थाना - नौगावां सादात
जनपद - अमरोहा

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

सत्यमेव जयते

पोस्टमास्टर POSTMASTER

SUB POST MASTER
Naugawan Sadat-244251

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 365546

सेवा में,

माननीय राष्ट्रपति महोदय

भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय–अली इमाम व मौ0 बाकर पुत्रगण अली मेंहदी तथा जफर इकबाल उर्फ कस्सू पुत्र अच्छन निवासीगण मौहल्ला बड़ी इमली कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश द्वारा कुछ ही वर्षो मे कई सौ करोड़ रूपये की अकूत चल व अचल सम्पत्ति एकत्र किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस्त प्रकार है कि प्रार्थी कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा उ0प्र0 का मूल निवासी है। प्रार्थी की ही बस्ती के अली इमाम व मौ0 बाकर पुत्रगण अली मेंहदी निवासीगण मौहल्ला बड़ी इमली कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा आज से लगभग 6–7 वर्ष पूर्व तक बस्ती के आस पास के जंगलो में भेड़ बकरी वगैरा चुगाकर उनको पाल पोसकर साप्ताहिक बाजारों में बेचकर हुए मुनाफे से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे थे। उपरोक्त अली इमाम व मौ0 बाकर 6–7 वर्ष पूर्व जफर इकबाल उर्फ कस्सू पुत्र अच्छन निवासी मौह0 फखरपुरा कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा के सम्पर्क में आये उक्त जफर इकबाल उर्फ कश्शू जिसका बैंक ग्राउण्ड लगभग 8 वर्ष पूर्व उक्त जफर इकबाल उर्फ कश्शू ओखला नई दिल्ली मे लोकल अपने कई साथियों के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरी चकारी व जामिया मीलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ओखला नई दिल्ली में शिक्षा प्राप्त कर रहे अमीर घरो के छात्रों को नशा अफीम, स्मैक आदि सप्लाई कर रूपया कमा रहा था। परन्तु ओखला नई दिल्ली में ही सक्रिय अन्य गैंग के बदमाशो से झगड़ा होने के कारण उक्त कश्शू दिल्ली से भागकर अपने पैतृक घर स्थित नौगावा सादात जनपद अमरोहा आ गया। उक्त कश्शू ने नौगावा सादात आकर उपरोक्त अली इमाम व मौ0 बाकर से मिला तथा कुछ ही समय पश्चात उपरोक्त अली इमाम व मौ0 बाकर तथा जफर इकबाल उर्फ कश्शू ने एक साथ मिलकर [illegible] नौगावा सादात जनपद अमरोहा की आस पास की तथा बस्ती [illegible] शुरू कर दिया। बस्ती के लोगो में जब [illegible] इतना रूपया कहां से आ रहा है तो उपरोक्त तीनो ने अपने रिश्तेदारों एवं मिलने वालो के नाम भूमियों की रजिस्ट्रियां करानी शुरू कर दी तथा बाद में उपरोक्त तीनो ने बहुत ही शातिर किस्म से शासन व प्रशासन

की नजरों में आने तथा इन्कम टैक्स वगैराह से बचने के लिए भू स्वामियों को भूमि की आधी से ज्यादा पैमेन्ट (भुगतान) करके उक्त भूमियों पर प्लाटिंग काटकर स्वयं रजिस्ट्रीयां न करके सीधे भू स्वामियों द्वारा रजिस्ट्री कर रहे है। तहसील नौगावा सादात जनपद अमरोहा के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को नफा नाजायज देकर विवादित भूमियों की खरीद फरोख्त का धंधा भी जोरो पर चला रहे है। इस सम्बन्ध में तहसील नौगावा सादात के वकीलों एवं मुंशियों एवं बस्ती नौगावा सादात में चर्चा का विषय बना हुआ है और उपरोक्त तीनो बिना नक्शा पास कराये खरीदी गयी भूमियों पर प्लाटिंग कर रहे है। जिला स्तर पर शिकायत करने पर तहसील नौगावा सादात के अधिकारीगण कोई सुनवाई करने को तैयार नही है। उपरोक्त अली इमाम व कशशू बहुत ही शातिर किस्म के व्यक्ति है। अली इमाम विदेशी ट्रिपे करता रहता है। उक्त इमाम अली का विदेशो मे न तो व्यापार है और न ही नौकरी वगैराह है। प्रत्येक विदेशी ट्रिप के पश्चात उपरोक्त तीनो ने बस्ती नौगावा सादात में बड़े पैमाने पर जमीनो की खरीद फरोख्त की है। उक्त अली इमाम के ससुर मुत्तकी पुत्र मौ0 अली की सगी बहन श्रीमती हसीन का विवाह पाकिस्तान मे हुआ तथा उक्त मुत्तकी के सगे भाई महमूद की 18 वर्षीय पुत्री मरयम कई वर्ष से पाकिस्तान में है तथा वहां रहकर पाकिस्तान की नागरिकता भी हासिल कर ली है। उक्त मरयम के सम्बन्ध इराक व सऊदी अरब मे सक्रिय आतंकी संगठन से जुड़े है जिसके सम्बन्ध में आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के स्थानीय समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुआ था। उक्त मरयम से मिलने के लिए उक्त अली इमाम पाकिस्तान की वीजा न लेकर अन्य देश सऊदी अरब, दुबई व ईरान तथा इराक आदि में जाता है। उक्त मरयम उपरोक्त तीनो को रूपया उपलब्ध करा रही है। उक्त अली इमाम अपने उक्त छोटे भाई मौ0 बाकर से उक्त मरयम का निकाह कराने की फिराक मे है तथा उक्त मरयम एवं उक्त मौ0 बाकर को दुबई में शिफ्ट कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उपरोक्त तीनो में से जफर इकबाल उर्फ कशशू के सगे भाई का विवाह उक्त मरयम की सभी तहेरी बहन से हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनो अली इमाम व मौ0 बाकर तथा जफर इकबाल उर्फ कशशू द्वारा कुछ ही वर्षो में एकत्र की गयी लगभग 300–400 करोड़ रूपये की अकूत सम्पत्ति की गुप्त रूप से किसी भी सक्षम जांच एजेन्सी जैसे एन्टी करैप्शन ब्यूरों, ई0डी0 व एस0आई0टी0 वगैरह के जांच करायी जायें ताकि सत्यता उजागर हो सकें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त अली इमाम व मौ0 बाकर तथा जफर इकबाल उर्फ कशशू द्वारा बहुत ही कम समय में एकत्र की गयी लगभग 300–400 करोड़

रूपये की अथाह धन व अवैध सम्पत्ति के स्रोत एवं [illegible]
नस्थान से सम्बन्ध की जांच कराये जाने हेतु किसी सक्षम जांच एजेन्सी जैसे एन्टीकरप्शन ब्यूरो, ई0डी0 व एस0आई0टी0 वगैरह को आदेशित फरमाने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

ह0 निसार हैदर

प्रार्थी
निसार हैदर पुत्र शमीम हैदर
निवासी मौह0 बाजार कस्बा व थाना
नौगावा सादात जिला अमरोहा उ0प्र0
मो0 नं0–7520504244

प्रतिलिपि–

1. महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. माननीय उपप्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
4. माननीय गृह मंत्री महोदय गृह मंत्रालय नई दिल्ली।
5. माननीय विदेश मंत्री महोदय विदेश मंत्रालय नई दिल्ली।
6. माननीय अध्यक्ष महोदय एस0आई0टी0 नई दिल्ली
7. माननीय अध्यक्ष महोदय सी0बी0आई0 नई दिल्ली।
8. माननीय अध्यक्ष महोदय सी0बी0सी0 आई0डी0 लखनऊ
9. माननीय अध्यक्ष महोदय एन्टीक्रप्शन ब्यूरों नई दिल्ली।
10. श्रीमान अध्यक्ष महोदय इन्कमटैक्स नई दिल्ली।
11. माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली।
12. माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य मानवाधिकार अयोग लखनऊ
13. माननीय डायरेक्टर महोदय एन0आई0ए0 नई दिल्ली।
14. माननीय डायरेक्टर महोदय एन0आई0ए0 लखनऊ
15. श्रीमान अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली।
16. श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य मानवाधिकार आयोग लखनऊ
17. माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार लखनऊ
18. श्रीमान डी0जी0पी0 महोदय लखनऊ
19. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अमरोहा

दस टका दश टाका દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ ਦਸ ਰੁਪਏ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
माननीय उप-राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली
को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT
अमरोहा
के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE
मिश्रा [illegible]
नि॰ मोहल्ला [illegible]
थाना - नौगावां सादात
अमरोहा

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

23-6-23

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
SUB POST MASTER
Naugawan Sadat-244251

इस रेखा के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 365543

जनसूचना अधिकार अधि0 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र

प्रेषक,

निसार हैदर पुत्र श्री शमीम हैदर
निवासी मौह0 बाजार, कस्बा व थाना नौगावा सादात
जनपद–अमरोहा, उ0प्र0

सेवार्थ

श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय
महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली

Vice President's Secretariat * New Delhi *
320
12/10/23

महोदय,

आवदेक/सूचना प्राप्तकर्ता भारत का नागरिक होने के नाते जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रश्नगत सूचनायें प्राप्त करना चाहता है। आवेदक/सूचना प्राप्तकर्ता शुल्क के रूप में दस रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या दिनांकित–9/10/23 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है तथा इसके अतिरिक्त कोई और भी अन्य शुल्क अदा करना अनिवार्य है तो वह भी अदा करने को तैयार है।

प्रश्नवार सूचनायें निम्नलिखित है–

1. यह कि आपके विभाग में जनसूचना अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है उनका नाम पदनाम, मय पता व दूरभाष। मोबाईल नम्बर क्या है पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराये।
2. यह कि आवेदक/सूचना प्राप्तकर्ता ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्रीमान जी को दिनांक–26.09.2023 को रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रेषित की थी जिसकी रजिस्ट्री सं0– RU504998119IN दिनांकित–26/9/23 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी है। कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

दिनांक– 09-10-2023

ह0 निसार हैदर
आवेदक/सूचना प्राप्तकर्ता
निसार हैदर पुत्र श्री शमीम हैदर
निवासी मौह0 बाजार,
कस्बा व थाना नौगावा सादात
जनपद–अमरोहा, उ0प्र0

संलग्नक–
1. सूचना शुल्क 10 रुपये का पोस्टल आर्डर
सं0–
2. शिकायती प्रार्थना पत्र।

O/o PS to HVP * Vice President's Secretariat *
1478
12/10/23

सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति महोदय

भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय–अली इमाम व मौ0 बाकर पुत्रगण अली मेंहदी तथा जफर इकबाल उर्फ कश्शू पुत्र अच्छन निवासीगण मौहल्ला बड़ी इमली कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश द्वारा कुछ ही वर्षो मे कई सौ करोड़ रूपये की अकूत चल व अचल सम्पत्ति एकत्र किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा उ0प्र0 का मूल निवासी है। प्रार्थी की ही बस्ती के अली इमाम व मौ0 बाकर पुत्रगण अली मेंहदी निवासीगण मौहल्ला बड़ी इमली कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा आज से लगभग 6–7 वर्ष पूर्व तक बस्ती के आस पास के जंगलो में भेड़ बकरी वगैरा चुगाकर उनको पाल पोसकरर साप्ताहिक बाजारों में बेचकर हुए मुनाफे से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे थे। उपरोक्त अली इमाम व मौ0 बाकर 6–7 वर्ष पूर्व जफर इकबाल उर्फ कश्शू पुत्र अच्छन निवासी मौह0 फखरपुरा कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा के सम्पर्क में आये उक्त जफर इकबाल उर्फ कश्शू जिसका बैंक ग्राउन्ड लगभग 6 वर्ष पूर्व उक्त जफर इकबाल उर्फ कश्शू ओखला नई दिल्ली मे लोकल छोटे मोटे माफियाओं के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरी चकारी व जामिया मीलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी ओखला नई दिल्ली में शिक्षा प्राप्त कर रहे अमीर घरो के छात्रों को नशा अफीम, स्मैक आदि सप्लाई कर रूपया कमा रहा था। परन्तु ओखला नई दिल्ली में ही सक्रिय अन्य गैंग के बदमाशो से झगड़ा होने के कारण उक्त कश्शू दिल्ली से भागकर अपने पैतृक घर स्थित नौगावा सादात जनपद अमरोहा आ गया। उक्त कश्शू ने नौगावा सादात आकर उपरोक्त अली इमाम व मौ0 बाकर से मिला तथा कुछ ही समय पश्चात उपरोक्त अली इमाम व मौ0 बाकर तथा जफर इकबाल उर्फ कश्शू ने एक साथ मिलकर [illegible] नौगावा सादात जनपद अमरोहा की आस पास की तथा बस्ती [illegible] शुरू कर दिया। बस्ती के लोगो में जब [illegible] इतना रूपया कहां से आ रहा है तो [illegible] के नाम भूमियों की रजिस्ट्रियां कराने [illegible] बहुत ही शातिर किस्म से शासन व प्रशासन

की नजरों में आने तथा इन्कम टैक्स वगैराह से बचने के लिए भू स्वामियों को भूमि की आधी से ज्यादा पैमेन्ट (भुगतान) करके उक्त भूमियों पर प्लाटिंग काटकर स्वयं रजिस्ट्रीयां न करके सीधे भू स्वामियों द्वारा रजिस्ट्री कर रहे है। तहसील नौगावा सादात जनपद अमरोहा के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को नफा नाजायज देकर विवादित भूमियों की खरीद फरोख्त का धंधा भी जोरो पर चला रहे है। इस सम्बन्ध में तहसील नौगावा सादात के वकीलों एवं मुंशियों एवं बस्ती नौगावा सादात में चर्चा का विषय बना हुआ है और उपरोक्त तीनो बिना नक्शा पास कराये खरीदी गयी भूमियों पर प्लाटिंग कर रहे है। जिला स्तर पर शिकायत करने पर तहसील नौगावा सादात के अधिकारीगण कोई सुनवाई करने को तैयार नही है। उपरोक्त अली इमाम व कश्शू बहुत ही शातिर किस्म के व्यक्ति है। अली इमाम विदेशी ट्रिपे करता रहता है। उक्त इमाम अली का विदेशो मे न तो व्यापार है और न ही नौकरी वगैराह है। प्रत्येक विदेशी ट्रिप के पश्चात उपरोक्त तीनो ने बस्ती नौगावा सादात में बड़े पैमाने पर जमीनो की खरीद फरोख्त की है। उक्त अली इमाम के ससुर मुत्तकी पुत्र मौ0 अली की सगी बहन श्रीमती हसीन का विवाह पाकिस्तान मे हुआ तथा उक्त मुत्तकी के सगे भाई महमूद की 18 वर्षीय पुत्री मरयम कई वर्ष से पाकिस्तान में है तथा वहां रहकर पाकिस्तान की नागरिकता भी हासिल कर ली है। उक्त मरयम के सम्बन्ध इराक व सऊदी अरब मे सक्रिय आतंकी संगठन से जुड़े है जिसके सम्बन्ध में आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के स्थानीय समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुआ था। उक्त मरयम से मिलने के लिए उक्त अली इमाम पाकिस्तान की वीजा न लेकर अन्य देश सऊदी अरब, दुबई व ईरान तथा इराक आदि में जाता है। उक्त मरयम उपरोक्त तीनो को रूपया उपलब्ध करा रही है। उक्त अली इमाम अपने उक्त छोटे भाई मौ0 बाकर से उक्त मरयम का निकाह कराने की फिराक मे है तथा उक्त मरयम एवं उक्त मौ0 बाकर को दुबई में शिफ्ट कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उपरोक्त तीनो में से जफर इकबाल उर्फ कश्शू के सगे भाई का विवाह उक्त मरयम की सभी तहेरी बहन से हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनो अली इमाम व मौ0 बाकर तथा जफर इकबाल उर्फ कश्शू द्वारा कुछ ही वर्षो में एकत्र की गयी लगभग 300–400 करोड़ रूपये की अकूत सम्पत्ति की गुप्त रूप से किसी भी सक्षम जांच एजेन्सी जैसे एन्टी करैप्शन ब्यूरों, ई0डी0 व एस0आई0टी0 वगैरह के जांच करायी जायें ताकि सत्यता उजागर हो सकें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त अली इमाम व मौ0 बाकर तथा जफर इकबाल उर्फ कश्शू द्वारा बहुत ही कम समय में एकत्र की गयी लगभग 300–400 करोड़

रूपये की अथाह चल व अचल सम्पत्ति के स्त्रोत एवं पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त उक्त मरयम से सम्बन्ध की जांच कराये जाने हेतु किसी सक्षम जांच एजेन्सी जैसे एन्ट्रीकरप्शन ब्यूरो, ई0डी0 व एस0आई0टी0 वगैराह को आदेशित फरमाने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

दि० 26.09.2023

सै. निसार हैदर
प्रार्थी

निसार हैदर पुत्र शमीम हैदर
निवासी मौह0 बाजार कस्बा व थाना
नौगावा सादात जिला अमरोहा उ0प्र0
मो0 नं0–7520504244

प्रतिलिपि–

1. महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. माननीय उपप्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।
4. माननीय गृह मंत्री महोदय गृह मंत्रालय नई दिल्ली।
5. माननीय विदेश मंत्री महोदय विदेश मंत्रालय नई दिल्ली।
6. माननीय अध्यक्ष महोदय एस0आई0टी0 नई दिल्ली
7. माननीय अध्यक्ष महोदय सी0बी0आई0 नई दिल्ली।
8. माननीय अध्यक्ष महोदय सी0बी0सी0 आई0डी0 लखनऊ
9. माननीय अध्यक्ष महोदय एन्टीक्रप्शन ब्यूरों नई दिल्ली।
10. श्रीमान अध्यक्ष महोदय इन्कमटैक्स नई दिल्ली।
11. माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली।
12. माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य मानवाधिकार अयोग लखनऊ
13. माननीय डायरेक्टर महोदय एन0आई0ए0 नई दिल्ली।
14. माननीय डायरेक्टर महोदय एन0आई0ए0 लखनऊ
15. श्रीमान अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली।
16. श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य मानवाधिकार आयोग लखनऊ
17. माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार लखनऊ
18. श्रीमान डी0जी0पी0 महोदय लखनऊ
19. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अमरोहा